रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 203] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

सार्वजनिक सूचना सं० 32-ई टी सी (पी एन)/85

विषय :—खाड़ीसैसिंग वर्ष 1985-86 के दौरान गेहूं और धान के बीजों (प्रमाणित) का निर्यात ।

फा०स० 142/17/85-ई II :—उपर्युक्त विषय पर निर्यात व्यापार (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० नि० (नि०) आ० 1977/एम(314), दिनांक 16 अक्तूबर, 1985 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंसिंग वर्ष 1985-86 के दौरान गेहूं और धान के बीजों (प्रमाणित) के निर्यात को राष्ट्रीय बीज निगम लि. के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाये, । निर्यात की अनुमति पत्तन लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोत-परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन करके दी जायेगी ।

3. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति, 1985—88 (खण्ड-2) के पृष्ठ 16 पर नीति विवरण की क्रम सं 24(4) पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी —

| अनुसूची 1 के भाग "ख" के अनुसार क्रम सं | मद का विवरण | लाइसेंसिंग नीति |
|---|---|---|
| 24(4) | (क) गेहूं के बीजों और धान के बीजों से भिन्न खाद्यान्न के बीज (प्रमाणित) | "पात्रता पर" |
| | (ख) गेहूं के बीज और धान के बीज (प्रमाणित) | निर्यात, राष्ट्रीय बीज निगम लि. के माध्यम से सरणीबद्ध । |

4. आयात-निर्यात नीति, 1985—88 (खण्ड-2) के पृष्ठ 32 पर अनुबन्ध 1 की क्रम सं० 28 पर निम्न-लिखित प्रविष्टि जोड़ी जायेगी :—

| क्रम सं० | मद | निर्यात व्यापार नियंत्रण वर्गीकरण | सरणीबद्ध करने वाली एजेन्सी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 28 | गेहूं के बीज और धान के बीज (प्रमाणित) | ख-24(4) (ख) | राष्ट्रीय बीज निगम लि. | — |

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

## EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th October, 1985

## PUBLIC NOTICE NO. 32-ETC(PN)/85

Subject :—Export of Wheat Seeds and Paddy Seeds (Certified) during the licensing year 1985-86.

File No. 142/17/85-E. II :—Attention is invited to the Exports Trade (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (314) dated the 16th October, 1985, on the above subject.

2. It has been decided to canalise the export of Wheat Seeds and Paddy Seeds (Certified) during the licensing year 1985-86 through the

National Seeds Corporation Limited. Export will be permitted by the Port Licensing Authorities by making endorsements on Shipping Bills.

3. Accordingly the existing entry at S. No. 24(iv) of Policy Statement at page 16 of the Import and Export Policy 1985—88 (Vol. II) shall be substituted by the following :—

| S. No. as in Part 'B' of Schedule I | Description of the item | Licensing Policy |
|---|---|---|
| 24(iv) | (a) Foodgrain Seeds (Certified) other than Wheat Seeds and Paddy Seeds. | "On Merits" |
| | (b) Wheat Seeds and Paddy Seeds (Certified). | Export canalised through National Seeds Corporation Ltd. (See Annexure I). |

4. The following entry shall be added at S.No. 28 after S.No. 27 of Annexure I at page 32 of the Import and Export Policy 1985—88 (Vol. II).

| S. No. | Item | ETC Classification | Canalising Agency | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 28. | Wheat Seeds and Paddy Seeds (Certified) | B.24(iv)(b) | National Seeds Corporation Ltd. | |

R.L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985